दिल्ली विधान सभा सचिवालय

समाचार भाग-2

(विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी)

बुधवार, 13 नवम्बर, 1996/कार्तिक 22, 1918 (शक)

संख्या-299

माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा द्वारा श्रीमती ताजदार बाबर एवं श्रीमती कृष्णा तीरथ, विधायकों द्वारा सदन का कथित विशेषाधिकार हनन एवं अवमानना करने के मामले में व्यवस्था/निर्णय ।

...

माननीय सदस्यों को सूचित किया जाता है कि माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा ने, डा॰ हर्षवर्धन, स्वास्थ्य मंत्री द्वारा दसवें सत्र के प्रथम भाग में श्रीमती ताजदार बाबर एवं श्रीमती कृष्णा तीरथ, विधायकों के विरुद्ध सदन के कथित विशेषाधिकार हनन एवं अवमानना के बारे में दी गई सूचना पर निम्नलिखित व्यवस्था दी है :-

"मुझे 30 जुलाई, 1996 को स्वास्थ्य मंत्री, डॉ0 हर्षवर्धन से नियम 64 के अंतर्गत श्रीमती ताजदार बाबर एवं श्रीमती कृष्णा तीरथ द्वारा कथित रूप से उनके विशेषाधिकार का हनन एवं सदन की अवमानना करने के बारे में एक सूचना प्राप्त हुई थी जिसमें उन्होंने अभियोग लगाया था कि ऊपर उल्लिखित दो सदस्यों ने सदन में 26 जुलाई, 1996 को उनके ऊपर, माननीय अध्यक्ष या सम्बद्ध मंत्री को पूर्व सूचना दिए बगैर, जो विधान सभा नियमों के नियम 245 के अंतर्गत अपेक्षित है, श्रीमती ऊषा जो उनकी घरेलू नौकरानी थी, का उनके द्वारा बलात्कार करने का आरोप लगाते हुए, आपत्तिजनक, अपमानजनक और निन्दात्मक टिप्पणियाँ की थीं॰ उनका अन्य यह तर्क था कि उपरलिखित दो सदस्यों में से एक सदस्य अर्थात् श्रीमती तीरथ ने भी कुछ, जैसे - "आप पक्षपाती हैं", "आप महिला विरोधी हैं" आदि टिप्पणियाँ करते हुए और इस प्रकार सारे नियमों और परम्पराओं का उल्लंघन करते हुए अध्यक्ष महोदय के ऊपर लांछन लगाया था॰

नियम-64 के अनुसार, जिस दस्तावेज पर शिकायत आधारित है उसकी एक एक प्रति मैंने दोनों महिला सदस्यों को भेज दी थी और उनसे अपनी टिप्पणियाँ देने के लिए कहा गया था॰

अपने जवाब में श्रीमती ताजदार बाबर ने इस बात से इन्कार किया है कि उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री के विरुद्ध किसी तरह का व्यंग्यात्मक (द्विअर्थी) कटाक्ष किए थे या किसी तरह के परोक्ष अथवा सीधा आरोप लगाने से संबंधित कोई बात कही थी॰ आगे उन्होंने यह भी कहा है कि वे केवल सदन को उस ताजा-तरीन और चौंकाने वाली जानकारी की बाबत सूचित करना चाहती थीं, जो कथित पीड़ित महिला ने हम लोगों को बताया था॰ उनके अनुसार इस प्रकार (विशेषाधिकार हनन) की सूचना उनके विरुद्ध मात्र बदले की भावना से दी गई है ताकि नारी निकेतन में महिला मुक्ति के मुद्दे को आम जनता के व्यापक हित में प्रकाश में लाने के निष्कपट प्रयास के मामले को रफा-दफा किया जा सके॰

श्रीमती कृष्णा तीरथ ने अपने जवाब में कहा है कि सदन की कार्यवाही से इस बात की पुष्टि होगी कि उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री के विरुद्ध एक भी ऐसा शब्द या वाक्य नहीं कहा था जिसे निन्दात्मक या आपत्तिजनक कहा जा सके॰ इस तरह "स्वास्थ्य मंत्री द्वारा दी गई सूचना तत्काल बिना किसी अग्रिम कार्रवाई के रद्द किए जाने के योग्य है॰"

जहाँ तक "आप महिलाओं के दुश्मन हैं", "आप महिला विरोधी हैं" और "आप पार्शियल हैं" जैसे वाक्यों को कहने का संबंध है, श्रीमती तीरथ ने, जिन्होंने इन शब्दों का प्रयोग किया था, कहा है कि उन्होंने इन वाक्यों का

उच्चारण "प्रश्नात्मक रूप में किया था", जिसे हिन्दी में कहने की इजाज़त है, जिसका अर्थ है कि उन्होंने एक "प्रश्नात्मक विचार" रखा था और यदि उनसे अध्यक्ष के विरुद्ध की गई टिप्पणी का अभिप्राय निकलता हो तो उन्हें इसके लिए खेद है ।

दिल्ली विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम 245 में किसी व्यक्ति के विरुद्ध आरोप लगाने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। नियम के अनुसार "किसी सदस्य द्वारा किसी व्यक्ति के विरुद्ध मानहानिकारक या अपराधारोपक स्वरूप का आरोप नहीं लगाया जायेगा, तब तक कि सदस्य ने अध्यक्ष को तथा सम्बन्धित मंत्री को पूर्व सूचना न दे दी हो ....." ।

मैंने इस मामले की जाँच की है और विधान सभा की रिकार्डेड कार्यवाही का टेप सुनने के साथ-साथ विधान सभा रिपोर्टरों द्वारा शब्दशः कार्यवाही भी पढ़ी है । मैंने पाया है कि श्रीमती ताजदार बाबर ने अधोहस्ताक्षरी या संबंधित मंत्री को बगैर कोई पूर्व सूचना दिए साफ तौर से मानहानिकारक तथा जानबूझ कर विचार प्रकट किये जिससे सदन के दूसरे सदस्य डॉ0 हर्षवर्धन के नाम और प्रतिष्ठा को घोर क्षति पहुंची । श्रीमती बाबर की टिप्पणी - "उसने कहा है कि साहब मुझे ऊपर ले गए और पानी में मिलाकर कुछ पिलाया", से स्पष्ट रूप से मंत्री निवास पर जिस "साहब" को कहा है वह केवल डॉ0 हर्षवर्धन, सदन के एक सदस्य के अलावा और कोई नहीं हो सकता । चूंकि इस मामले में सदन में पहले चर्चा हो चुकी थी जिसमें डॉ0 हर्षवर्धन ने भी स्पष्टीकरण देते हुए वक्तव्य दिया था, इसलिये उस दिन प्रेस और संचार माध्यमों से जुड़े लोगों सहित सदन में मौजूद सभीलोगों को साफ-साफ समझ में यही आया था कि कौन व्यक्ति "साहब" है । उनकी टिप्पणियों से बाहर की दुनिया को बहुत जोरदार और स्पष्ट ढंग से यह संदेश भी मिला था कि स्वास्थ्य मंत्री ही व्यक्तिगत रूप से नारी-निकेतन की एक मजबूर संवासिनी - श्रीमती ऊषा के कथित बलात्कार से जुड़े हुए थे । मैं वास्तव में महसूस करता हूं कि सदन के किसी अन्य सदस्य अर्थात् स्वास्थ्य मंत्री के विरुद्ध इस तरह की मानहानिकारक और आपत्तिजनक व्यंग्यात्मक टिप्पणियां करनेऔर इस तरह के गंभीर और आधारहीन अभियोगों को लगाने से पूर्व श्रीमती बाबर को पूरी तरह अपने तथ्यों की जांच-पड़ताल कर लेनी चाहिए थी और ऐसा करने के बाद नियम 245 की अपेक्षाओं को भी पूरा करना चाहिए था । श्रीमती बाबर के व्यवहार और आचरण से न केवल सदन के अन्य सदस्य यानी डॉ0 हर्षवर्धन के विशेषाधिकार का हनन ही हुआ है बल्कि इससे सामान्य रूप से सदन की प्रतिष्ठा की भी क्षति हुई है ।

कौल एवं शकधर द्वारा लिखित पुस्तक "दि प्रैक्टिस एण्ड प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट" के पृष्ठ 245 पर निम्न प्रकार उल्लिखित किया गया है :-

"सामूहिक रूप से सदन का अनादर करना विशेषाधिकार हनन का मौलिक और आधारभूत रूप है और लगभग सभी विशेषाधिकार हनन के मामले इसमें शामिल किए जा सकते हैं । सदन या उसकी किसी समिति के सामने जनता के सदस्यों द्वारा किया गया दुराचरण, जिन्हें सदन की दीर्घाओं में या उसकी किसी समिति में साक्षी के रूप में उपस्थित होने के लिए प्रवेश दिया गया हो, सदन की अवमानना का मामला बनेगा । सदन में इस तरह के दुराचरण को अव्यवस्थापूर्ण, अपमानजनक या निन्दात्मक आचरण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है ।" (मूल अंग्रेजी में)

मैं उपर्युक्त की दृष्टि से तथा पूरी तरह मामले पर विचार करने के बाद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम 66 के अंतर्गत श्रीमती ताजदार बाबर के विरुद्ध डॉ0 हर्षवर्धन की अवमानना की सूचना को स्वीकार करने हेतु अपनी सहमति प्रदान करने तथा इसे परीक्षण, जाँच-पड़ताल और प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए विशेषाधिकार समिति को सौंपने के लिए विवश महसूस करता हूं अतः मैं इसे विशेषाधिकार समिति को सौंपने का आदेश करता हूँ ।

जहाँ तक श्रीमती कृष्णा तीरथ द्वारा सदन के कथित विशेषाधिकार हनन और अवमानना का संबंध है, 26 जुलाई, 1996 की विधान सभा की कार्यवाही का अवलोकन करने से मुझे महसूस होता है कि उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री के विरुद्ध परोक्ष या अपरोक्ष - किसी भी रूप में कोई आक्रामक या अपमानजनक टिप्पणी नहीं की थी । हालाँकि, कार्यवाही देखने से यह पता चलता है कि उन्होंने अध्यक्ष के विरुद्ध "आप महिला विरोधी हैं", "आप पार्शियल हैं" और "आप महिलाओं के दुश्मन हैं" जैसी टिप्पणियाँ करते हुए बेबुनियाद आरोप लगाये थे । श्रीमती तीरथ का यह कथन, कि उन्होंने प्रश्न पूछने के विचार से ऐसे वाक्यों का प्रयोग किया था, मान्य नहीं हो सकता है । यदि इस तरह के वाक्य प्रश्नात्मक रूप में होते तो इन वाक्यों के पहले हिन्दी का उपसर्ग "क्या" लगना चाहिए था और एक प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ इन्हें समाप्त होना चाहिए था लेकिन मौजूदा मामले में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था । इसके अलावा ऐसे वाक्य एक बार में ही नहीं बोले गए थे बल्कि वाद-विवाद के दौरान विभिन्न स्थितियों में कई बार उनका प्रयोग किया गया था । यह स्पष्ट रूप से विधान सभा नियमावली के नियम 272 के साथ पठित नियम 244 (ज) के उल्लंघन में अध्यक्ष के आसन के विरुद्ध लांछन लगाने के बराबर है ।

..4/..

अपने उत्तर में श्रीमती कृष्णा तीरथ ने, हालांकि निम्नलिखित शब्दों में बिना किसी शर्त के क्षमा याचना की है :-

"मैं एतद्द्वारा यह घोषणा करने में कोई हिचकिचाहट नहीं महसूस करती हूं कि सदन के किसी अन्य सदस्य की तरह ही अध्यक्ष के प्रति मेरे मन में महान आदर की भावना है और यदि किसी गलत-फहमी से किसी जगह मेरे शब्दों से अध्यक्ष के विरुद्ध टिप्पणी करने का आशय निकल रहा हो, तो मैं उसके लिए बिना किसी लाग-लपेट के खेद प्रकट करती हूं ।"

बिना शर्त खेद प्रकट करने की उपर्युक्त दृष्टि से मैं मानता हूं कि इनके मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंपने की क सौंपने की कोई आवश्यकता नहीं है और इसे समाप्त समझा जाये ।

ह/-

(चरती लाल गोयल)

अध्यक्ष

दिल्ली विधान सभा

पी0एन0 गुप्ता

सचिव

DELHI LEGISLAIVE ASSEMBLY SECRETARIAT

BULLETIN PART - II

(General information relating to Legislative & other matters)

Wednesday, November 13, 1996/Kartika 22, 1918 (Saka)

No. 299

RULING BY HON'BLE SPEAKER IN THE MATTER OF ALLEGED BREACH OF PRIVILEGES AND CONTEMPT OF THE HOUSE BY SMT. TAJDAR BABAR AND SMT. KRISHNA TIRATH, MLAs.

Hon'ble Members are informed that Hon'ble Speaker, Delhi Vidhan Sabha has given the following ruling on the notice of alleged breach of Privilege and Contempt of House given during the First Part of the Tenth Session by Dr. Harsh Vardhan, Health Minister against Smt. Tajdar Babar and Smt. Krishna Tirath, MLAs:

" on 30th July, 1996 I received a notice under Rule 64 from Health Minister, Dr. Harsh Vardhan regarding breach of his privileges and contempt of the House allegedly committed by Smt. Tajdar Babar and Smt. Krishna Tirath alleging that the aforesaid two M.L.As. made offensive, derogatory and defamatory remarks against him in the House on 26th July, 1996 by flinging allegations against him for the rape of Mrs. Usha, a domestic servant at his house without giving prior notice either to the Hon'ble Speaker or to the minister concerned which is the requirement of Rule 245 of the Assembly Rules. His other contention was that one of the aforesaid two members namely Smt. Krishna Tirath also made certain observations such as "Aap partial hain", "Aap anti-women hain", etc. thereby casting aspersions on the Speaker, thus violating all rules and conventions in this regard".

As per rule 64, I had a copy of the document on which the complaint is founded, sent to the two lady members and asked them to furnish their comments.

contd.....2/-

In her reply Smt. Tajdar Babar has denied having made any innuendoes and between-the-line suggestions or direct allegations against the Hon'ble Health Minister, She has further observed that she had only sought to "inform the House about the latest and startling disclosure that we were told by the alleged victim". The notice (of Breach of Privilege) according to her, is thus made out on "sheer vengeance against her in order to settle scores for having made bonafide attempt to bring the issue of emanicipation of women in Nari Niketan to light in larger interest of general public".

Smt. Krishna Tirath in her reply has stated that the proceedings of the House would vouchsafe that she did not utter even a single word or sentence against the Health Minister which can be termed as defamatory or offensive. As such, "notice by the Health Minister deserves to be dismissed immediately without any further action".

As regards the utterances of sentences such as 'Aap mahiloan ke dushman hain', 'Aap mahila virodhi hain' and 'Aap partial hain', Mrs. Tirath who did pronounce these words, stated that she uttered these sentences "in a question form" which is allowed in Hindi language; which means that she posed an "interrogative idea" and if they are construed as remarks against the Chair, she regrets the same.

Rule 245 of the Rules of Procedure and Conduct of Business of Delhi Legislative Assembly lays down the procedure for making allegations against any person. The rule says that "no member shall make any allegation of a defamatory or offensive nature against any person unless the member has given prior notice to the Speaker and the minister concerned....".

I have gone into the matter and have heard the tape recorded proceedings of the Assembly as also the transcription made by the Assembly reporters. I find that Mrs. Tajdar Babar without any prior notice either to the undersigned or to the Minister did make some defamatory and contumacious observations in a clear

.....3./-

suggestive way which had the effect of tarnishing the name and reputation of another member of the House, Drr. Harsh Vardhan, Smt. Babar's comments that "Usne Kaha hai ke sahab mujhe uppar ley gaye aur pani main milake kuchh pilaya" clearly identified that 'sahib' at his residence was none other than Dr.Harsh Vardhan, a Member of the House. Since the matter had earlier been discussed in the House, in which Dr. Harsh Vardhan had also made a clarificatory statement, it was explicitly clear to all those present including people from Press and media as to who the "Sahib" was. Her observations did send a message, loud and clear, to the outside world that it was the Health Minister who was personally involved in the alleged rape of a hapless inmate of Nari Niketan, one Ms. Usha. I do feel that before making such a defamatory and offensive innuendoes and hurling such a serious and unsubstantiated charge on the other Member of the House i.e. the Health Minister, Mrs. Babar should have checked her facts thoroughly and after doing so, should have complied with the requirements of Rule 245. Mrs. Babar's behaviour and conduct amounted not only to breach of privilege of other member of the House viz. Dr. Harsh Vardhan, but also disrespect to the House in general.

The Practice & Procedure of Parliament by Kaul and Shakdher states on page 245 as under:-

> "Disrespect to the House collectively is the original and fundamental form of breach of privilege and almost all breaches can be reduced to it. Any misconduct in the presence of the House or a Committee thereof whether by members of public who have been admitted to the galleries of the House or to sittings of the Committee as witnesses, will constitute a contempt of the House. Such misconduct may be defined as a disorderly, contumacious, disrespectful or contemptuous behaviour in the presence of the House."

.....4/..

In view of the above and after considering the matter in totality, I am constrained to give my consent for admission of the contempt notice of Dr. Harsh Vardhan against Smt. Tajdar Babar under Rule 66 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi and refer it to the Committee on Privileges for examination, investigation and report.

As regards the alleged breach of privilege and contempt of the House by Smt. Krishna Tirath, I find from the perusal of Assembly debates of 26th July, 1996, that she made no offensive or derogatory remarks - either directly or indirectly against the Health Minister. The proceedings, however, do reveal that she hurled unfounded accusations against the Chair by making observations such as 'Aap Mahila Virodhi Hain', 'Aap partial hain', and 'Aap mahilaon ke dushman hain'. The contention of Smt. Tirath that she uttered such sentences in a question form - to pose an interrogative idea - cannot be found tenable. Had such sentences been in question form, they should have been prefixed by Hindi word "kya" and would have ended with a sign of interrogation and it was not so in the instant case. Moreover, such sentences were uttered not in one go but at different stages of the debate. This clearly amounts to casting aspersions on the Chair in contravention of Rule 244 (h) read with rule 272 of the Assembly rules.

In her reply, Smt. Tirath has, however, tendered an unqualified apology in the following words:-

> I hereby feel no hesitation in declaring that I hold the Speaker in as great a respect as any member of the House and, if by misunderstanding, my words at any place are being construed as a remark against the Chair, I express my unqualified regrets for the same."

In view of the unqualified regrets I hold that there is no need to refer her case to the Committee of Privileges and the same be treated as closed.

SD/-
CHARTI LAL GOEL
SPEAKER
DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY"

P.N. GUPTA
SECRETARY